

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग – 3
संख्या: /XXVIII-3-2013-213/2001
देहरादून, दिनांक ६६ जनवरी, 2013

अधिसूचना / प्रकीर्ण

राज्यपाल, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34, वर्ष 2003) की धारा 25 एवं 28 एः इस सम्बन्ध में समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित अधिकारियों को उनके अधिकारिता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने लोक स्थानों पर अधिनियम की धारा 4 अथवा धारा 6 के अधीन कोई अपराध कारित किया है, के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करते हैं। ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसी रकम के लिए जो दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगी, शमन किया जा सकेगा।

क्रम संख्या कार्यवाही करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
2. राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी
3. नोडल अधिकारी/जिला एवं राज्य स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के फोकल प्वाईट
4. निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक /अस्पताल प्रशासक
5. केन्द्रीय उत्पादकर/आयकर/सीमा शुल्क/बिक्रीकर /स्वास्थ्य/परिवहन के निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी
6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग
7. कॉलेज/स्कूल के हेड मास्टर/प्राचार्य, शिक्षक
8. केन्द्र/राज्य सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत्त संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी
9. लाइब्रेरियन/सहायक लाइब्रेरियन/लाइब्रेरी प्रभारी/लाइब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टाफ
10. स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन हेड/स्टेशन प्रभारी
11. पोस्टमास्टर तथा ऊपर के अधिकारी
12. संस्था का प्रमुख/एच आर प्रबंधक/प्रशासन प्रमुख
13. हवाई पत्तन प्रबंधक/भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी तथा सभी अनुसूचित एयरलाईंस के अधिकारी
14. पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के पुलिस अधिकारी
15. पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के राज्य औषिधि निरीक्षक/ वरिष्ठ औषिधि निरीक्षक/ औषिधि नियंत्रक
16. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (सभ्य/पंचायत सचिव)
17. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक—जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)

18. जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी
19. रजिस्ट्रार/ उपरजिस्ट्रार/ लोक अभियोजक/ सरकारी वकील/ न्यायलय परिसर का प्रभारी
20. विद्यालय निरीक्षक/ जिला शिक्षा अधिकारी
21. यातायात अधीक्षक/ सहायक यातायात अधीक्षक/ बस विराम स्थल अधिकारी/ टिकिट संग्राहक या संचालक

(एस० रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या: /XXVIII-3-2012-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को असाधारण गैजट में प्रकाशित करने का कष्ट करे एवं अधिसूचना की 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
आज्ञा से

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव

संख्या: ५४ /XXVIII-3-2012-213/2001. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित—

1. सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/ गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
8. मिशन निदेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव